भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2147

जिसका उत्तर सोमवार, 9 दिसम्बर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

वरिष्ठ नागिरकों के लिए वित्तीय साक्षरता और निवेशक शिक्षा कार्यक्रम

2147. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय साक्षरता और निवेशक शिक्षा के संबंध में कोई हाल ही में सर्वेक्षण/अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश भर में पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्रस्तावित वित्तीय साक्षरता और निवेशक शिक्षा कार्यक्रमों से संबंधित पाठ्यक्रमों में पंजीकृत, भाग लेने वाले और उत्तीर्ण होने वाले वरिष्ठ नागरिकों की राज्य-वार और जिले-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार, राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा और कुल राशि कितनी है; और

(घ) क्या सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय साक्षरता और निवेशक शिक्षा कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कोई प्रचार कार्यकलाप/अभियान चलाया है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): देश में वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय साक्षरता वाला कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, विभिन्न वित्तीय साक्षरता और शिक्षा कार्यक्रम नियमित रूप से चलाए जाते हैं जिनमें वरिष्ठ नागरिक एक लक्षित समूह के रूप में शामिल होते हैं। इसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अग्रणी बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफएलसी) स्थापित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, एफएलसी को विभिन्न लक्षित समूहों के लिए विशेष शिविर आयोजित करने की सलाह दी गई है और बैंक एफएलसी के माध्यम से नियमित रूप से विशेष शिविर आयोजित कर रहे हैं।

(ii) "आरबीआई कहता है" शीर्षक से भारतीय रिजर्व बैंक के बहु-मीडिया, बहुभाषी जन जागरूकता अभियान में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने और सुरक्षित बैंकिंग पद्धतियों के संबंध में जनता को शिक्षित करने के लिए विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया जाता है।

(iii) राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केन्द्र (एनसीएफई) वित्तीय साक्षरता केन्द्र (सीएफएल) के सहयोग से 18 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक आयु के लक्षित समूह के लिए नियमित रूप से वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

(iv) भारतीय रिजर्व बैंक सभी आयु वर्गों को शामिल करते हुए आम जनता को आवश्यक वित्तीय जागरूकता संदेश प्रसारित करने के लिए व्यापक मीडिया अभियान चलाता है।

(v) महत्वपूर्ण बैंकिंग पहलुओं पर वित्तीय जागरूकता के लिए आम जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु मानकीकृत विषय-वस्तु विकसित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय जागरूकता संदेश (एफएएमई) पुस्तिका विकसित की है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों सहित विभिन्न लक्षित समूहों के लिए विशिष्ट विषय-वस्तु तैयार की गई है।

*****